39–(08)–29–2015

पटना में दिनांक–25 अगस्त, 2015 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कृषि विभाग

1.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत खरीफ 2015 में कार्यक्रमों के लिए कुल 16768.29 लाख रूपये (एक अरब सड़सठ करोड़ अड़सठ लाख उनतीस हजार रूपये) (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/हरित क्रांति उप योजना 13553.69 लाख रूपये एवं राज्य योजना 3214.60 लाख रूपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।	1.	**स्वीकृत।**

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

2.	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत् निबंधित होने वाली संस्थाओं की कार्यकारिणी में कम से कम एक महिला सदस्य की अनिवार्यता को लागू करने के संबंध में।	2.	**स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

4.	वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजनान्तर्गत अविकसित सरकारी तलाबों को अनुदानित दर पर जीर्णोद्धार एवं चौकीदार शेड का निर्माण हेतु कुल ₹ 3355.00 लाख (तैंतीस करोड़ पचपन लाख) की योजना की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजना हेतु कुल ₹ 600.00 लाख (छह सौ लाख) की लागत पर योजना की स्वीकृति एवं राशि की निकासी के संबंध में।	4.	**स्वीकृत।**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

5.	राजकीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, बिहार, राजेन्द्र नगर, पटना का नाम परिवर्तित नाम "भरत प्रसाद सिन्हा (बी०पी०सिन्हा) राजकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय", बिहार, राजेन्द्र नगर, पटना के स्थान पर "बी०पी०सिन्हा राजकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय" बिहार, पटना के रूप में संशोधित किये जाने के संबंध में।	5.	**स्वीकृत।**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

6. राज्य के विरासत संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे गैर–सरकारी संग्रहालयों/संस्थानों यथा–महिला चरखा समिति, पटना गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय, भरतपुरा, पटना, चेचर संग्रहालय, चेचर वैशाली, राजेन्द्र स्मृति संग्रहालय, पटना एवं बाचस्पति संग्रहालय, अंधराठाढ़ी, मधुबनी को विकास कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 20.00 (बीस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 6. **स्वीकृत।**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

7. सरकारी भूमि पर सरकारी राशि से निर्मित भवन में चेचर संग्रहालय एवं ग्रामीण विकास संस्थान, चेचर (वैशाली) द्वारा संचालित चेचर संग्रहालय, चेचर (वैशाली) का सम्यक, विकास हेतु संग्रहालय का संचालन सभी आस्तियों (पुरावशेषों एवं कलाकृतियों) सहित, राज्य सरकार के नियंत्रण में लिये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 7. **स्वीकृत।**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

8. "बिहार विरासत विकास समिति" पटना को राज्य के मूर्त एवं अमूर्त्त विरासत के सर्वेक्षण, सूचीकरण, प्रकाशन एवं स्थापना व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत ₹ 1,50,00,000/–(एक करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 8. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

9. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के न्यूनतम मापदण्डों को दृष्टिपथ रखते हुए राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना के नवगठित दो विभागों "पंचकर्म विभाग" एवं कौमारभृत्य (बाल रोग विभाग) के लिए शैक्षणिक संवर्ग के व्याख्याता/प्रवाचक/प्राध्यापक के एक–एक पद अर्थात कुल (छः) शैक्षणिक पदों के सृजन के संबंध में। — 9. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

10. इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के लिए सृजित कम्युनिटी ऑप्थालमोलॉजिस्ट का पद परिवर्तित कर सहायक प्राध्यापक–कम्युनिटी ऑप्थालमोलॉजी करने की स्वीकृति के संबंध में। — 10. **स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

11. संविदा के आधार पर ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन नियोजित कुल 90 (नब्बे) कनीय अभियंता का अगले एक वर्ष तक के लिए पुनर्नियोजन के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

12. वर्ष 2008 में कोशी आपदा से प्रभावित मधेपुरा, सुपौल एवं सहरसा जिलों के लिए बिहार कोशी बाढ़ समुत्थान परियोजना हेतु बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाईटी के माँग के आधार पर ₹ 262.01 करोड़ रूपये अनुदान राशि की स्वीकृति। — 12. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

13. बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना अंतर्गत कोशी क्षेत्र के भू–भाग की कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर कृषि उत्पादन में लगभग 30% की वृद्धि हासिल करने, सड़क पुल निर्माण एवं बाँध सुदृढ़ीकरण हेतु बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाईटी के माँग के आधार पर कुल ₹ 240.61 करोड़ अनुदान राशि के व्यय की स्वीकृति। — 13. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

14. 1 जुलाई 2015 के प्रभाव से लागू वेतनमान में वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नियोजित एवं कार्यरत 66,104 नगर शिक्षक, प्रखंड शिक्षक एवं पंचायत शिक्षक के नियत वेतन के भुगतान के लिए नियोजन इकाईयों को सहायक अनुदान में पूर्व से स्वीकृत कुल राशि ₹ 7,11,50,40,000/–(सात अरब ग्यारह करोड़ पचास लाख चालिस हजार रूपये) से वेतन मद में भुगतान के प्रस्ताव पर स्वीकृति। — 14. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग
(जन शिक्षा)

15. वित्तीय वर्ष–2015–16 में बिहार राज्य में "साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम" के संचालन हेतु तत्काल वित्तीय वर्ष–2014–15 में प्राप्त केन्द्रांश मद में 858.00 लाख (आठ करोड़ अंठावन लाख) एवं संगत राज्यांश मद में 286.00 लाख (दो करोड़ छियासी लाख), कुल–1144.00 लाख (ग्यारह करोड़ चौवालीस लाख) रूपये मात्र सहायक अनुदान की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। — 15. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

16. राज्य के नगर निकायों को विभिन्न योजनओं के कार्यान्वयन हेतु सरकारी/नगर निकाय की भूमि अनुपलब्ध रहने की स्थिति में बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 99 के आलोक में बाजार दर — 16. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

17. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड, पटना के उन्नयन एवं कार्यालय सुव्यवस्थित करने के निमित्त वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल ₹40,00,000/– (चालीस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 17. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

18. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड, पटना के उन्नयन के निमित्त ऋण एवं अग्रिम स्वरूप वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल ₹10,00,000/– (दस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति। — 18. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

19. वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात् संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता/अनुदान दिये जाने के नीतिगत निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजनान्तर्गत रूपये 1,09,56,20,000/–(एक अरब नौ करोड़ छप्पन लाख बीस हजार) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 19. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

20. इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना व्यय हेतु गैर–योजना से वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू० 50,00,00,000/–(रूपये पचास करोड़) मात्र के अनुदान की स्वीकृति। — 20. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

21. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु बाँका, जमुई तथा सिवान जिलों में एक–एक, भागलपुर में एक, वारिसलीगंज (नवादा), कोढ़ा (कटिहार) एवं कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखण्ड में एक–एक नये 3X50 एम०भी०ए० क्षमता वाली 132/13 के०भी० ग्रिड सब–स्टेशन एवं उससे सम्बद्ध संचरण लाईनों के निर्माण की 374.15 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में 1.00 (एक) करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 21. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

22. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० के अन्तर्गत चिन्हित 13 (तेरह) पुराने ग्रीड उपकेन्द्रों के पूर्णरूपेण जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण की 133.76 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में 1.00 (एक) करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

23. जनहित कार्य के लिए महावीर कैंसर संस्थान, पटना को PET CT Scan मशीन के क्रय हेतु रू० 13,00,00,000/–(तेरह करोड़) रूपये मात्र की सीमा तक अनुदान की स्वीकृति के सबंध में। — 23. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

24. इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को राज्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न मशीन उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में उपलब्ध कराई गई राशि रू० 15,50,50,000/–से अब तक व्यय के उपरान्त अवशेष राशि रू० 3,68,54,925/–(रूपये तीन करोड़ अड़सठ लाख चौवन हजार नौ सौ पच्चीस) मात्र से दो मॉडयूलर ऑपरेशन थियेटर के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 24. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

25. इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को गैर–योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में संस्थान के विभिन्न निर्माणों के अनुरक्षण, मरम्मत, जीर्णोद्धार तथा अन्य विविध कार्यों हेतु रू० 18,00,00,000/– (रूपये अठ्ठारह करोड़) मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। — 25. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

26. इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को गैर–योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में सस्थान के विविध निर्माण कार्यो, अनुरक्षण मरम्मत तथा जीर्णोद्धार कार्यों हेतु रू० 7,50,00,000/–(रूपये सात करोड़ पचास लाख) मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। — 26. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

27. "उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना" को भंग किये जाने एवं नये आयोग "उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग" के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — 27. स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

28. विभागीय पत्रांक 4495, दिनांक–30.06.2015 के द्वारा बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों में से सिपाहियों, हवलदारों, सहायक अवर निरीक्षकों एवं अवर निरीक्षकों को अवकाश के दिनों में भी काम करने के एवज में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय भुगतान हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश के कंडिका–2 (क) में अंकित एक माह के वेतन के बराबर मानदेय स्वीकृत करने के कारण से संबंधित प्रावधान एवं 2 (ग) में देय क्षतिपूर्ति अवकाश को समाप्त करने के प्रावधान में संशोधन करने के संबंध में।	**28. स्वीकृत। यह सभी सुविधा पुलिस निरीक्षकों को भी उपलब्ध होगा।**